

राजस्थान - सरकार

शिक्षा - विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ1(175)स्था/निकाशि/2011/ 378 दिनांक: 08 सितम्बर, 2011

आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक क्रमांक:एफ1(175)स्था/निकाशि/2011/4281 दिनांक: 04 अगस्त, 2011 जिसके द्वारा अनुदानित महाविद्यालयों से राज्य सेवा में आने वाले व्याख्याताओं को अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु उनके समक्ष दर्शाये गये महाविद्यालयों में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 370 दिनांक 02.09.11 के द्वारा इनके अभिमुखीकरण कार्यक्रम की अवधि में दिनांक 20 सितम्बर 2011 तक अभिवृद्धि की गई थी, के क्रम में आंकारमल सोमानी वाणिज्य महाविद्यालय, जोधपुर के व्याख्याताओं का अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थल जो कि पूर्व में राजकीय महाविद्यालय, फलौदी था, को परिवर्तित कर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, पाली किया जाता है। अब आंकारमल सोमानी वाणिज्य महाविद्यालय, जोधपुर के व्याख्याता अपने शेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम हेतु राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, पाली में अपनी उपस्थिति देंगे।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक:एफ1(175)स्था/निकाशि/2011/ 378 दिनांक: 08 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।
13. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
14. सम्बन्धित व्याख्याता।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक